उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 4454 /पांच-8-2015-म(270)/2012

लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा0 निशान्त पाठक, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस, डा0 जिज्ञासु सिंह, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर एवं डा0 विवेक कुमार मिश्रा, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी थी। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-40/पांच-8-2012-म(270)/2012टी0सी0-III, दिनांक 06-02-2013 द्वारा डा0 विवेक कुमार मिश्रा की पूर्व तैनाती जनपद बलरामपुर को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर के अधीन नियुक्ति की गयी थी। डा0 निशान्त पाठक द्वारा तत्समय एम0डी0 फार्माक्लोजी अध्ययनरत होने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था। डा0 जिज्ञासु सिंह द्वारा दिनांक 06-11-2012 को अति0प्राथ0स्वा0 केन्द्र, नाभीपुर, जौनपुर एवं डा0 विवेक कुमार मिश्रा द्वारा दिनांक 18-02-2013 को सामु0स्वा0 केन्द्र, अखण्डनगर, सुलतानपुर में कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 जिज्ञासु सिंह का चयन डी0एन0बी0 एवं डा0 विवेक कुमार मिश्रा का चयन पी0जी0(डी0सी0एच0) में हो जाने के कारण पी0जी0 अध्ययनरत हो गये। अध्ययन पूर्ण करने के उपरान्त उपरोक्त चिकित्साधिकारियों द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण कराये जाने के किये गये अनुरोध पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 17-08-2015 द्वारा जिज्ञासु सिंह एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर के पत्र दिनांक 03-08-2015 द्वारा डा0 विवेक कुमार मिश्रा को योगदान कराये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	विशेषज्ञता	पूर्व तैनाती	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती
1	2	3	4	5	6
1.	डा0 निशान्त पाठक	एम0डी0 (फार्माक्लोजी)	मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस	औरैया	जिला चिकित्सालय, कानपुर देहात
2.	डा0 जिज्ञासु सिंह	डी0एन0बी0	मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर	वाराणसी	मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर
3.	डा0 विवेक कुमार मिश्रा	डी0सी0एच0	मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर	जौनपुर	मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर

2- प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उक्त चिकित्साधिकारियों को इस शर्त के साथ सेवा में

क्रमशः

U.O.M-R

योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी सेवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी।

3- उपरोक्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24-12-2015 तक अपने नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित चिकित्सालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन समाप्त/निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया
संयुक्त सचिव।

संख्या- 4454 (1)/पांच-8-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 24-12-2015 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़/कानपुर/वाराणसी/फैजाबाद मण्डल।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस/जौनपुर/सुलतानपुर।
6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, कानपुर देहात।
7- कोषाधिकारी, हाथरस/कानपुर/जौनपुर/सुलतानपुर।
8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
9- गार्ड फाइल/प्रभारी/ कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

U.O.M-R

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या- 4455 /पांच-8-2015-म(270)/2012
लखनऊ : दिनांक 27 नवम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा0 राजीव रंजन, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में डा0 राजीव रंजन द्वारा दिनांक 15-10-2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोकरहेडी, मोरना, मुजफ्फरनगर में कार्यभार ग्रहण किया गया था। डा0 राजीव रंजन दिनांक 30-12-2012 से बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। डा0 रंजन द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण कराये जाने के किये गये अनुरोध पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 05-06-2015 द्वारा डा0 राजीव रंजन को योगदान कराये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 राजीव रंजन, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा0 राजीव रंजन, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24-12-2015 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया
संयुक्त सचिव।

क्रमशः

U.O.M-R

संख्या- 4455 (1)/पांच-8-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 राजीव रंजन, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 24-12-2015 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

6- मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफफरनगर।

7- कोषाधिकारी, मुजफफरनगर।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

U.O.M-R

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 4456 /पांच-8-2015-म(270)/2012

लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा० अर्चना कुमारी, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी थी तथा शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3512/पांच-8-2012-म(270)/2012टी०सी०, दिनांक 05-12-2012 द्वारा जनपद बरेली की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही के अधीन तैनात किया गया, जिसके क्रम में डा० अर्चना कुमार द्वारा दिनांक 26-12-2012 को कार्यभार ग्रहण किया गया था। डा० अर्चना कुमारी दिनांक 12-09-2013 से बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गयी। डा० अर्चना कुमारी द्वारा पुन: कार्यभार ग्रहण कराये जाने के किये गये अनुरोध पर मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही के पत्र दिनांक 23-06-2015 द्वारा डा० अर्चना कुमार को योगदान कराये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

अत: सम्यक विचारोपरान्त डा० अर्चना कुमारी, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा० अर्चना कुमारी, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24-12-2015 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

जी०सी० कठेरिया

संयुक्त सचिव।

क्रमश:

U.O.M-R

संख्या- 4456 (1)/पांच-8-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 अर्चना कुमारी, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 24-12-2015 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्ध्यांचल मिर्जापुर मण्डल।

6- मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही।

7- कोषाधिकारी, भदोही।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

U.O.M-R